हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 फरवरी, 2023

खण्ड –1, अंक–1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 20 फरवरी, 2023

पृष्ठ संख्या

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

शोक प्रस्ताव

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महिला आयोग की सभापति का अभिनन्दन

इंडियंज मीडिया सैंटर, हरियाणा के माध्यम से हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र एवं वरिष्ठ पत्रकार का अभिनंदन

श्री बलराज कुंडू, विधायक द्वारा अपनी जन जागृति यात्रा से संबंधित अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन देना

मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह के त्याग पत्र से संबंधित मामला उठाना

वाक आउट

घोषणाएं–

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची के संबंध में

(ii) सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में

(क) सचिव द्वारा

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट पेश करना

नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर पुनः रखे गए/रखे गए कागज–पत्र

श्री भव्य बिश्नोई, विधायक द्वारा माननीय सदस्यों को दिनांक 21.02.2023 को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 20 फरवरी, 2023

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 12.41 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

....

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 18 के अनुसरण में, मैंने यह सूचना देनी है कि संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय ने आज 20 फरवरी, 2023 को प्रातः 11:00 बजे हरियाणा विधान सभा को संबोधित करने की कृपा की है। नेवा पोर्टल के माध्यम से माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है।

(राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर रखी गई।)

माननीय अध्यक्ष एवं सम्मानित सभासदों!

1. मैं 14वीं हरियाणा विधानसभा के चौथे बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आजादी के 75वें वर्ष में हमारे महान राष्ट्र के 'अमृत काल' में हरियाणा विधानसभा का यह पहला सत्र है। इसलिए इस सत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है और आप सभी से उच्च स्तर की प्रतिबद्धता व्यक्त करने की अपेक्षा की जाती है।

2. मेरी सरकार की दूरदर्शिता व दृढ़ता और हरियाणा के हर नागरिक के ईमानदार प्रयास 25 साल के अमृत काल में भारत को विश्व

का सिरमौर बनाना सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में वर्ष 2047 में विकसित भारत– इंडिया/100 के विजन पर प्रकाश डाला था। भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगले 25 वर्षों की योजना बनाने के लिए एक ऐसे विजन की आवश्यकता है, जो ऊर्जा का दोहन करे और सभी ताकतों व नागरिकों को एक जमीनी आंदोलन के लिए एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रेरित कर सके।

3. माननीय सभासदों! दूरदृष्टा स्वामी विवेकानंद जी का कथन है–

'भविष्य का महान भारत बनाने का संपूर्ण रहस्य संगठन, शक्ति संचय, इच्छाशक्तियों के समन्वय में निहित है'।

मेरी सरकार हमारे देश द्वारा जी20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करने और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करने पर गर्व का अनुभव करती है और राष्ट्र को सलाम करती है। भारत द्वारा जी20 की अध्यक्षता करने का इस से अधिक उपयुक्त समय नहीं हो सकता। यह ऐतिहासिक अवसर ऐसे समय में मिला है, जब विश्व में उथल–पुथल, संघर्ष, जटिलता और अनिश्चितता का माहौल है। यह भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी साख साबित करने, वैश्विक आर्थिक मुद्दों को हल करने में अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने और हमारे चिरंतन महान मूल्यों, को विश्वभर में फैलाने का एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की हमारी महान विरासत को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार विदेश मंत्रालय, जी20 सचिवालय और अन्य संबंधित

मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित कर रही है ताकि हरियाणा में जी20 से संबंधित कार्यक्रमों जैसे कि, 1 मार्च, 2023 से भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में जी20 राजदूतों का भ्रमण और संवाद, IIM रोहतक एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों में जी 20 पर संगोष्ठी/सम्मेलनों आदि के आयोजन को सुगम बनाया जा सके।

4. भारत सरकार द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों को कोविड वैक्सीन का प्रावधान करने और भूकंप प्रभावित तुर्की को हर संभव आपदा राहत देने से 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की सोच और व्यापक हो जाती है। इसी तरह, मेरी सरकार ने उत्तराखंड में जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोगों को भी राहत सामग्री भेजकर मदद की है।

5. माननीय सभासदों! मेरी सरकार ने प्रशासनिक दक्षता में सुधार और सरकारी कार्यप्रणाली में तालमेल तथा कार्य को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कई विभागों का विलय किया है। इससे शिक्षा, बिजली, खेल, पर्यावरण, समाज कल्याण, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, रोजगार, उद्यमिता और कई अन्य क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं सुनिश्चित होंगी। सूचना प्रौद्योगिकी से संबधित उद्योग व आधारभूत संरचना संबंधित कार्य उद्योग विभाग को सौंपा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी की नागरिक–केंद्रित सेवाओं का नागरिक संसाधन सूचना विभाग में विलय किया गया है। अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग कल्याण एवं सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभागों को सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय ॆ;ॅ।द्ध

विभाग में समेकित किया गया है। युवा मामले विभाग को कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण और रोजगार विभाग में विलय करके उद्यमिता पर बल देते हुए इसका नामकरण युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग के रूप में किया गया है।

6. मैं कोविड–19 महामारी के दौरान लोगों द्वारा राज्य सरकार के प्रति व्यक्त विश्वास और धैर्य की सराहना करता हूं। महामारी के दौरान हमने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न सोए और कोई भी मरीज उपचार से वंचित न रहे। कोविड योद्धाओं द्वारा इस दौरान पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। मेरी सरकार के इन प्रयासों की व्यापक सराहना हुई।

सुशासन

7. माननीय सभासदों! आज नागरिकों द्वारा 'शासन कम, सुशासन अधिकतम' को पसंद किया जा रहा है। कई नवाचारों से और मानव हस्तक्षेप घटाने से कदाचार पर अंकुश लगा है और गुणवत्तापूरक सेवा प्रदायगी सुनिश्चित हुई है। डी.बी.टी. सुविधा, ऑटो अपील प्रणाली, परिवार पहचान पत्र योजना, स्वामित्व, मेरा पानी–मेरी विरासत, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम, जन सहायक एम–गवर्नेंस पहल, ई–खरीद, व्यवसाय सुधार कार्य योजना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम और कई अन्य पहलों ने 'सबका साथ–सबका विकास, सबका विश्वास–सबका प्रयास' और 'हरियाणा एक, हरियाणवी एक' के प्रति मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।

8. मेरी सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लिए एक विशेष निगरानी प्रकोष्ठ बनाया है, जहां मुख्यमंत्री के साथ–साथ मुख्य सचिव फिलहाल 15 विभागों की कुल 58 हजार करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय की 91 परियोजनाओं की निगरानी करते हैं।

9. मेरी प्रगतिशील सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन करने और लोगों के कल्याण के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल रखने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 अक्तूबर, 2022 को भारत में 5ळ सेवाओं का शुभारंभ किया। अब गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में 5ळ सेवाएं उपलब्ध हैं और आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में 5ळ सेवाएं शुरू की जाएंगी।

10. इसी तरह, परिवहन क्षेत्र को डी–कार्बोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक परिवहन में परिवर्तन एक प्रभावकारी वैश्विक रणनीति है। भारत उन कुछ देशों में शामिल है जो वैश्विक म्ट30/30 अभियान का समर्थन करते हैं। इस अभियान का उद्देश्य 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत नए इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सुनिश्चित करना है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति–2022 शुरू की है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माण में अवसरों को तलाश कर हरियाणा की मोटर वाहन निर्माण क्षेत्र में अंतर्निहित ताकत का उपयोग

करना है। इस नीति में ई–मोबिलिटी के लिए 'एंड–टू–एंड' इकोसिस्टम के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है।

11. नागरिकों को सेवाओं की 'पेपरलेस' और 'फेसलेस' प्रदायगी को प्रोत्साहित करने के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)एक अनूठी ई–गवर्नेंस स्कीम है। परिवार सूचना आंकड़ा कोष में अब 73.11 लाख परिवारों, जिनकी सदस्य संख्या 2.88 करोड़ है, का अद्यतन आंकड़ा उपलब्ध है। मेरी सरकार का आगामी वर्ष में सभी सरकारी डेटाबेस और सरकारी योजनाओं को जोड़ने के लिए पी.पी.पी. के दायरे का और विस्तार करने का इरादा है।

12. मेरी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। सरकार के भ्रष्टाचार–रोधी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सीएम फ्लाइंग स्क्वॉड लगातार काम कर रहा है। वर्ष 2022 के दौरान सीएम फ्लाइंग स्क्वॉड ने कुल 1,303 छापे मारे। इन छापों के परिणामस्वरूप 456 प्राथमिकी दर्ज की गईं और 555 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इन छापों में खाद्य पदार्थों में मिलावट, अवैध खनन, वाहनों की ओवरलोडिंग, अवैध शराब, बिजली चोरी, सरकारी कार्यालयों की औचक जांच आदि मुद्दे शामिल हैं। भ्रष्टाचार–रोधी इस अभियान के तहत वर्ष 2022 के दौरान हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो, जिसे अब भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के रूप में नया नाम दिया गया है, ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत 193 सरकारी कर्मचारियों और 27 निजी व्यक्तियों को 246 केसों में भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया।

अंत्योदय

13. माननीय सभासदों! राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है,

''मेरे सपनों का स्वराज गरीबों का स्वराज है।''

इसका सार है कि राज्य सभी नागरिकों के प्रति करूणा और मैत्रीभाव रखे। मेरी सरकार सभी स्कीमों का पूर्ण लाभ देने और अंत्योदय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि सभी पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और कोई भी इनसे वंचित न रहे।

14. हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम 1,80,000 रुपये और इससे अधिक करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' शुरू की गई है। वर्तमान ऋण योजनाओं, कौशल–विकास योजनाओं और विभिन्न विभागों के निजी या मजदूरी रोजगार से जोड़ने और उनकी आय में वृद्धि की सुविधा के लिए अभी तक ऐसे 3.35 लाख परिवारों की पहचान की जा चुकी है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000 रुपये से कम है।

15. गरीब से गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' में पशुपालन एवं डेयरी विभाग को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इस योजना के तहत कुल 68,257 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 60,347 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं और 904 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।

अभी तक 17,466 लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं और सब्सिडी राशि के रूप में 27.32 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

16. हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड ने 'सांझी डेयरी' स्कीम शुरू की है, जिसमें पशु आहार, चारा और पशु चिकित्सा सेवाओं की सुविधा प्रदान की जाएगी। इच्छुक किसान एक सहकारी समिति गठित करेंगे, जो दुग्ध संघों की मौजूदा डेयरी सहकारी समिति का हिस्सा होगी।

17. मेरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और उपभोक्ताओं को उनके घर–द्वार पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए 750 'हरहित रिटेल' आउटलेट खोले हैं। करीब एक साल पहले शुरू होने के बाद से हरहित प्रोजेक्ट ने करीब 150 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। 1.8 लाख रुपये से कम पारिवारिक आय वाली हरहित फ्रेंचाइजी को 1 लाख रुपये तक बुनियादी ढांचा तथा अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

18. निरोगी हरियाणा स्कीम, जिसमें 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की व्यापक स्वास्थ्य जांच की जाती है, के तहत जनवरी 2023 तक 1.6 लाख लोगों की जांच की गई है और लगभग 15 लाख नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।

19. मेरी सरकार ने 21 नवम्बर, 2022 को अंत्योदय इकाइयों का व्यापक स्वास्थ्य बीमा (चिरायु) योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य आयुष्मान भारत के लाभों को 29 लाख अंत्योदय परिवारों अर्थात् 1.80 लाख रुपये या इससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों तक

पहुंचाना है। चिरायु योजना के तहत 46.7 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं।

20. राज्य की जनसंख्या में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का व्यापक विस्तार करने के लिए लाभार्थियों के चयन के लिए पीपीपी के डेटाबेस के अनुसार आय मानदंड का उपयोग किया गया है। जनवरी, 2023 तक अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)/गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)/अन्य प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (ओपीएच) के तहत पात्र परिवारों की संख्या 26.9 लाख से बढ़कर 31.6 लाख हो गई है।

21. मेरी सरकार ने बी.पी.एल/ए.ए.वाई. राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से नया रूप दिया है और सरल बनाया है। अब गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)/अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्ड पीपीपी डेटाबेस के अनुसार आय मानदंड के आधार पर स्वचालित रूप से बन रहे हैं। कोई भी लाभार्थी अब अपना राशन कार्ड आवश्यक विवरण जैसे कि परिवार आईडी आदि प्रस्तुत करके ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है।

22. पीपीपी का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक लाभार्थी को घर-द्वार पर सक्रिय रूप से लाभ प्रदान करना है। इसके लिए लाभार्थी को अलग से सरकारी एजेंसी की निरीक्षण या सत्यापन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और न ही प्रमाण के रूप में दस्तावेज जमा करवाने होंगे और, न सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता

होगी। पिछले वर्ष शीघ्र प्रदायगी के लिए कई योजनाओं और सेवाओं को पीपीपी से जोड़ा गया है।

23. अप्रैल, 2022 में इस व्यवस्था से अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण पत्र जारी करना शुरू किया गया था, इसके बाद अगस्त, 2022 में पिछड़ा वर्ग और आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई। जनवरी, 2023 तक 3.63 लाख एससी प्रमाण पत्र, 1.86 लाख बीसी प्रमाण पत्र और 2.34 लाख आय प्रमाण पत्र सक्रिय रूप से बिना किसी सरकारी कार्यालय में जाए आवेदक को जारी किए गए हैं।

अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण

24. माननीय सभासदों! दिसंबर 2022 के अंत तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले निराश्रित बच्चों और विधवा/ तलाकशुदा/ निराश्रित/ अनाथों को विवाह सहायता के लिए 116 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। 27,270 छात्रों की छात्रवृत्ति पर 23.88 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। 8,838 आवास मरम्मत लाभार्थियों को 71.59 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

25. समाज के कमजोर वर्ग अर्थात् वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, किन्नरों, निराश्रित बच्चों, केवल बेटियों वाले माता–पिता, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों और कश्मीरी विस्थापितों को पेंशन और वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कल्याण,

वरिष्ठ नागरिक कल्याण और नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान की जा रही है।

26. सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को निश्चित और समयबद्ध तरीके से पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा की है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप इस निर्णय को लागू करने और विभिन्न विभागों में संवर्गवार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की कमी का आकलन करने का कार्य एक रेशनलाइजेशन आयोग को सौंपा जा रहा है।"ॅ। (सामाजिक न्याय, अधिकारिता, एससी/बीसी का कल्याण और अंत्योदय) विभाग आयोग को सभी सहायता प्रदान करेगा, और कमी के आकलन के आधार पर वर्ग 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' पदों पर पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा।

सभी के लिए आवास

27. माननीय सभासदों! प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (पीएमएवाई–यू) के लाभार्थी–आधारित–निर्माण (बीएलसी) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 28,572 लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 482 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

28. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) के तहत कुल 29,711 मकानों के लक्ष्य की तुलना में 28,837 मकानों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 21,932 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।

श्रम कल्याण

29. माननीय सभासदों! कारोबार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) 2022 के अनुसार श्रम विभाग ने चार आवश्यक सेवाओं में आवेदन प्राप्त होने के 45 दिनों की समाप्ति के बाद ऑटो जेनरेटेड ऑनलाइन डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान कर दिया है।

30. अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने सहायता राशि को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया है। कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण अपंजीकृत निर्माण श्रमिक के दिव्यांग होने पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता को दोगुणा कर दिया गया है।

31. कुरुक्षेत्र और तरावड़ी में नए ई.एस.आई. औषधालय चालू हो गए हैं। झाड़ली औषधालय शीघ्र ही कार्य करने लगेगा। कैशलेस आधार पर ईएसआई लाभार्थियों को विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने के लिए 109 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। मेरी सरकार 100 बिस्तरों वाले छः नए ईएसआई अस्पताल और 14 नई ई.एस.आई. डिस्पेंसरी का निर्माण करने जा रही है।

सैनिकों और पूर्व सैनिकों का सम्मान

32. माननीय सभासदों! राज्य सरकार रक्षा कर्मियों, पूर्व रक्षा कर्मियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के साथ–साथ उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्र के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा और उनके द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदानों को

मान्यता देते हुए, राज्य सरकार कई स्कीमें चला रही है जैसे कि पूर्व सैनिकों (ईएसएम), युद्ध विधवाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, युद्ध में शहीद होने पर उसके निकटतम परिजन को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देना, शौर्य और विशिष्ट पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान करना, बेटियों के लिए विवाह अनुदान, हरियाणा से नए कमीशन्ड अधिकारियों को नकद पुरस्कार प्रदान करना और शिकायतों का समय पर निवारण करना।

33. विभाग 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदनों के निर्माण की पहल करेगा।

34. सशस्त्र बलों में अधिक से अधिक अधिकारियों और सैनिकों के योगदान के लिए सरकार 20–20 करोड़ रुपये की लागत से दो सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापित करेगी। हिसार, अंबाला, चरखी दादरी और रोहतक में हाल की अग्निवीर भर्ती रैलियों के दौरान हरियाणा से 1,821 अग्निवीरों की भर्ती की गई है।

कृषि, किसान कल्याण और खाद्य आपूर्ति

35. माननीय सभासदों! हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल का केवल 1.54 प्रतिशत है और केंद्रीय खाद्यान्न भण्डार में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। हरियाणा को अपनी अभिनव और कृषि अनुकूल नीतियों और कार्यक्रमों के लिए भारतीय कृषि और खाद्य परिषद् द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार–2022 से सम्मानित किया गया है।

36. मेरी सरकार ने सदैव कृषि और बागवानी पर जोर दिया है और मुझे यह कहते हुए गर्व है कि कृषि और बागवानी का संयुक्त बजट 2014 में 1,026 करोड़ रुपये से 4 गुना से अधिक बढ़कर 2022 में 4,379 करोड़ रुपये हो गया है। कृषि और बागवानी बजट में 2014 से 2022 तक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 19.9 प्रतिशत है।

37. वर्ष 2022–23 में हर खेत–स्वस्थ खेत अभियान के तहत पहली बार 30 लाख मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों/राजकीय महाविद्यालयों में "अर्न व्हाइल यू लर्न" प्रोग्राम के तहत 107 लघु मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं।

38. वर्ष 2022–23 में कुल 7,500 किसानों, जिनमें 156 महिला किसान, 255 युवा किसान और 405 अधिकारी शामिल है, को प्राकृतिक खेती अपनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्राकृतिक खेती के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया और अब तक 6,000 से अधिक किसानों ने इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।

39. विभाग का वर्ष 2023–24 के लिए फसल विविधीकरण एवं जल संरक्षण के तहत एक लाख एकड़ भूमि पर धान के अलावा दूसरी फसलों का प्रस्ताव है। विभाग का डिजिटल कृषि पर नई परियोजनाओं और अवधारणाओं जैसे परिष्कृत खेती, फसल उपज के आंकलन के लिए ड्रोन का उपयोग और कीट–रोग प्रबंधन शुरू करने का प्रस्ताव है।

40. वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष है और राज्य सरकार बाजरा फसलों के अनुसंधान और उपयोग को बढ़ावा देने पर बल दे रही है। इस उद्देश्य के लिए खरीफ 2023 से भिवानी में एक पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र काम करना शुरू कर देगा।

बागवानी

41. माननीय सभासदों! बागवानी विभाग ने वर्ष 2022–23 में किसानों के लिए गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री की उपलब्धता बढाई है। संकर किस्म की सब्जियों की पौध की संख्या 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.50 करोड़ कर दी है। उपज बढ़ाने के लिए बागवानी में वर्टिकल फार्मिंग की नवीन तकनीक अपनाई गई। बागवानी की सभी योजनाओं और घटकों के तहत किसानों की आसान पहुंच के लिए एकीकृत सब्सिडी पोर्टल शुरू किया गया है, जिस पर 25,000 किसान पंजीकृत हो चुके हैं।

42. वर्ष 2022–23 में बागवानी किसानों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना नामक समर्पित फसल बीमा योजना शुरू करने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है। इसमें 46 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है और प्रीमियम की राशि 750 रुपये से लेकर 1,000 रुपये प्रति एकड़ है और बीमा राशि 30,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये प्रति एकड़ है।

43. मेरी सरकार शहद के परीक्षण और निर्यात की सुविधा के लिए एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (आई.बी.डी.सी), कुरुक्षेत्र में

20 करोड़ रुपये की लागत से एक शहद गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित कर रही है।

44. पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर एक नया उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए इंग्लैंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दो और उत्कृष्टता केंद्र एक पिनगवां, नूंह में प्याज के लिए और दूसरा मुनीमपुर, झज्जर में फूलों के लिए स्थापित होगा।

पशुपालन और डेयरी

45. माननीय सभासदों! मेरी सरकार मुंह–खुर की बीमारी के लिए एक संयुक्त वैक्सीन का उपयोग करके मवेशियों और भैंसों में मुंह–खुर की बीमारी और रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया (एचएस) रोगों से राज्य को मुक्त करने के लिए आगे बढ़ रही है। हरियाणा एकमात्र राज्य है, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के तहत एक पायलट परियोजना के रूप में संयुक्त वैक्सीन का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है।

46. विभाग ने हाल ही में लम्पी त्वचा रोग के प्रकोप को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है। इसने पूरे देश में पशुपालन क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव डाला। कड़े नियंत्रण उपायों और टीकाकरण के

परिणामस्वरुप नवंबर, 2022 के बाद लम्पी त्वचा रोग का कोई नया मामला सामने नहीं आया है।

47. राज्य के पशुपालकों को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड (पीकेसीसी) प्रदान किए जा रहे हैं और अब तक बैंकों द्वारा 1.04 लाख पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्य में 70 चल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है।

सहकारिता

48. माननीय सभासदों! मेरी सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में चालू पेराई सत्र 2022–23 के लिए गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। अब बढ़ा हुआ मूल्य अगेती किस्मों के लिए 372 रुपये प्रति क्विंटल और मध्यम–पछेती किस्मों के लिए 365 रुपये प्रति क्विंटल है।

49. वर्ष 2021–22 के लिए करनाल एवं शाहाबाद सहकारी चीनी मिलों ने राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः तकनीकी दक्षता एवं उच्चतम गन्ना पिराई में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा 14 फरवरी 2023 को पानीपत

चीनी मिल में 90 के.एल.पी.डी. क्षमता के एथेनॉल संयंत्र का शिलान्यास किया गया है।

50. हैफेड ने 2022 में सऊदी अरब को 20,000 मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया है और लगभग 2 करोड़ 18 लाख अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

सिंचाई एवं जल संरक्षण

51. माननीय सभासदों! सम्पूर्ण पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है और इस परियोजना के पूरा होने के बाद राज्य को मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त 4,000 क्यूसेक पानी मिलेगा।

52. मेरी सरकार ने राज्य भर में लगभग 500 चैनलों का सुधार व नवीकरण करके नहर तंत्र को मजबूत बनाया है और इस पर 2,500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। यह कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगा। साथ ही सिंचाई दक्षता में सुधार के लिए 20 वर्ष से अधिक पुराने क्षतिग्रस्त जलमार्गों का प्राथमिकता के आधार पर सुधार किया जा रहा है और इन जलमार्गों की लंबाई भी बढ़ाई जा रही है।

53. मेरी सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न एसटीपी के उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से किया जा रहा है। लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत के 22 कार्य प्रगति पर हैं। एक लाख एकड़ कमाण्ड क्षेत्र में सूक्ष्म

सिंचाई स्थापित करने के लिए वर्ष 2022–23 में लगभग 450 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी।

54. राज्य सरकार रावी–व्यास नदियों के हिस्से का पानी राज्य को दिलाने के लिए एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

55. मेरी सरकार यमुना नदी पर रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ व्यासी नामक अप–स्ट्रीम स्टोरेज बांधों के निर्माण के लिए भी प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रेणुका जी बांध के लिए निवेश स्वीकृति प्रदान करने के बाद, राज्य सरकार ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) को सीड मनी के रूप में 63.57 करोड़ रुपये भी जमा करवा दिए हैं।

56. सरस्वती नदी जीर्णोधार परियोजना के तहत आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए प्रारंभिक स्वीकृतियों और डिजाइन का काम चल रहा है। अक्तूबर, 2023 से पहले काम शुरू होने की संभावना है।

शिक्षा और रोजगार

57. माननीय सभासदों! 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और अमृत काल के दौरान भारत की वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने के लिए कौशल और सशक्तिकरण प्रमुख कारक होंगे। मेरी सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए चहुंमुखी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और उद्यमिता को बढ़ावा देगी। नई उद्यमशीलता गतिविधियों और स्टार्ट अप को शुरू करने के लिए इन्क्यूबेशन केंद्रों और नवाचार केंद्रों के माध्यम से एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया जाएगा। ये इन्क्यूबेशन केंद्र विचारों

के विकास, ऋण तक पहुंच, कौशल और व्यक्तित्व विकास में सहायता करेंगे। मेरी सरकार उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कि ड्रोन प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, 5ळ प्रौद्योगिकी, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर में कौशल कार्यक्रम प्रदान करेगी।

58. छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने तथा विज्ञान और गणित विषयों में छात्रों की रुचि को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए 'बुनियाद कार्यक्रम' शुरू किया है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों में स्थापित 51 बुनियाद केंद्रों में 2,900 छात्र–छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं।

59. नई शिक्षा नीति, 2020 द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं, जिनमें टैबलेट–आधारित ई–अधिगम योजना, निपुण हरियाणा मिशन के तहत प्रारंभिक कक्षाओं के लिए नवीन शिक्षण–अध्ययन अभ्यास, विवेचनात्मक सोच और 21वीं सदी के कौशल को बढ़ाने के लिए स्टेम प्रयोगशालाओं की स्थापना, कैरियर परामर्श का प्रावधान, छात्राओं के लिए मुफ्त परिवहन और सैनिटरी नैपकिन का प्रावधान शामिल हैं।

60. हरियाणा के 1,186 विद्यालयों में 15 व्यवसायिक कौशल में व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक 1.9 लाख विद्यार्थियों का व्यवसायिक शिक्षा के तहत नामांकन किया गया है।

61. विद्यार्थियों को उद्योग जगत से रूबरू कराने के लिए 50 इन्क्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा दीनबन्धु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (डीसीआरयूएसटी) मुरथल में उन्नत प्रशिक्षण एवं अध्ययन केन्द्र (एटीएएल) की स्थापना की जा रही है।

62. तकनीकी शिक्षा के छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने चार राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र (सी.ओ.ई.) स्थापित किए हैं। बहुतकनीकी संस्थानों में तकनीकी छात्रों की नियुक्ति प्रतिशतता लगभग 74 प्रतिशत है। विभाग ने 5 जिलों में स्टार्टअप इन्क्यूबेटरों की स्थापना की है।

63. अम्बाला छावनी में 5 एकड़ क्षेत्र में आर्यभट्ट विज्ञान केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

64. वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान उद्यम प्रोत्साहन नीति–2015 के तहत 495 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये, जिनमें से 26,002 करोड़ रुपये के निवेश तथा 37,566 व्यक्तियों के रोजगार के 188 समझौता ज्ञापनों का कार्यान्वयन विभिन्न स्तर पर चल रहा है।

मानव संसाधन

65. माननीय सभासदों! विभिन्न सरकारी विभागों के लगभग 1.06 लाख मौजूदा संविदात्मक कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के तहत लाया गया है। समय पर वेतन के

भुगतान के साथ–साथ ई.पी.एफ./ई.एस.आई. और श्रम कल्याण आदि से संबंधित सभी वैधानिक अनुपालनों का ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा 6,736 नए उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी किए गए हैं।

66. सरकारी नौकरियों में बार–बार आवेदन करने से युवाओं को छुटकारा दिलाने के लिए 'एकल पंजीकरण' और 'सामान्य पात्रता परीक्षा' का प्रावधान किया गया है।

67. चालू वर्ष में ग्रुप 'सी' के 13,275 पदों पर भर्ती की गई है। इसके अलावा, ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' के 56,354 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह चालू वर्ष में हरियाणा लोक सेवा आयोग ने राज्य के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए 777 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 7,862 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।

कानून एवं व्यवस्था

68. माननीय सभासदों! निरंतर प्रयासों और निगरानी के कारण हरियाणा–112 (ईआरएसएस) परियोजना के तहत पुलिस ई.आर.वी. का औसत प्रतिक्रिया समय अगस्त, 2021 में 11 मिनट 36 सेकंड से घटकर दिसंबर, 2022 में 08 मिनट 22 सेकंड हो गया है, जोकि देश में दूसरा सबसे अच्छा है।

69. कानून एवं व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पुलिस आयुक्तालय, सोनीपत अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2022 के दौरान 21 नए साइबर क्राइम पुलिस थाने स्थापित किए गए, जिससे राज्य में

इनकी कुल संख्या 29 हो गई है। इस वर्ष के दौरान 2,000 से अधिक साइबर मामले दर्ज किए गए और 1,078 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस वर्ष के दौरान 4,970 साइबर–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की भी स्थापना की गई है।

70. अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा पुलिस को सभी प्रमुख राज्य पुलिस बलों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है। हरियाणा पुलिस ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा 'सी.सी.टी.एन.एस./आई.सी.जे.एस. में 'श्रेष्ठ पद्धतियों' पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन के दौरान 'फॉरेंसिक पिलर' के तहत अंतर–परिचालन आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) परियोजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन की श्रेणी में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

71. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा हरियाणा पुलिस को 4 फरवरी, 2023 को राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाला हरियाणा देश का दसवां राज्य बन गया है।

खेल

72. माननीय सभासदों! खेलों में हरियाणा के युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र आते ही हमें गर्व की अनुभूति होती है। मेरी सरकार ने राई, सोनीपत में हरियाणा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है

और मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय, राई, सोनीपत को भी विश्वविद्यालय के प्रशासन के अधीन लाया गया है।

73. हरियाणा ने 4 से 13 जून, 2022 तक पंचकूला में 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स–2021' के चौथे संस्करण की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिसमें 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 8,500 खिलाड़ियों/ अधिकारियों ने भाग लिया। इन खेलों में 137 पदक जीतकर हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया। मध्यप्रदेश में आयोजित खेलो इण्डिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने 41 स्वर्ण पदक समेत 128 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया।

74. राष्ट्रमंडल खेल–2022 में हरियाणा के 42 खिलाड़ी 210 खिलाड़ियों वाले भारतीय दल का हिस्सा थे। भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते, जबकि अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने 09 स्वर्ण, 04 रजत और 07 कांस्य पदक जीते। इनका भारत द्वारा जीते गए कुल 61 पदकों में से 32.78 प्रतिशत का योगदान है।

महिला सुरक्षा और अधिकारिता

75. माननीय सभासदों!

"नारी समाजस्य कुशल वास्तुकारा"

अर्थात् महिला समाज की कुशल वास्तुकार है। मेरी सरकार की भी यही धारणा है और हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाये हैं।

76. हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना उन परिवारों की महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है, जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 लाख रुपये से कम है। महिला उद्यमियों को वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपये तक का ऋण उद्यम स्थापित करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें 3 वर्ष तक ब्याज में 7 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

77. सरकार प्रभावी ढंग से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी. वाई.) लागू कर रही है, जिसके तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को केवल पहले बच्चे के लिए तीन किस्तों में 5,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। अब मेरी सरकार दूसरे बच्चे के लिए भी यही लाभ देने जा रही है।

78. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात 833 था, जो अब दिसंबर, 2022 में सुधरकर 917 हो गया है।

79. मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत, लगभग 7.74 लाख बच्चों और लगभग 2.86 लाख गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को सप्ताह में छः दिनों के लिए छः जायकों में 200 मिलीलीटर फोर्टिफाइड स्किम्ड दूध वितरित किया जा रहा है।

80. मेरी सरकार द्वारा 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' पहल के समर्थन में छात्राओं को उनके निवास स्थान से शिक्षण संस्थानों तक राज्य में

150 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। पूरे राज्य में छात्राओं के लिए समर्पित लगभग 250 बसें चलाई जा रही हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत

81. माननीय सभासदों! पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधियों के रूप में शिक्षित नागरिकों का चुनाव कराकर एक बड़ी छलांग लगाने के बाद, मेरी सरकार सक्रिय रूप से उनकी क्षमता का निर्माण करके और उन्हें कार्य और धन हस्तांतरित करके उनके सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों को अब अधिक भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व दिए जा रहे हैं।

82. हम सभी पंचायती राज संस्थाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को बिजली की खपत पर पंचायत कर और स्टाम्प शुल्क पर अधिभार जैसे कराधान के विभिन्न अधिकार देकर उनके अपने संसाधनों और राजस्व को बढ़ाने की योजना बना रही है। मेरी सरकार ने पी.आर.आई. को उनके अपने कोष से खर्च करने की पूर्ण वित्तीय स्वायतता प्रदान की है।

83. मेरी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर लैंगिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए हुए आम चुनावों में निर्वाचित प्रतिनिधियों में

आधी महिलाएं हैं। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग (ए) के व्यक्तियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है।

84. ग्रामवासियों और सरकार के बीच संबंध स्थापित करने के लिए मेरी सरकार द्वारा 'ग्राम दर्शन पोर्टल' की एक अनूठी पहल की गई है। अब तक पोर्टल पर 15,553 मांगें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7,693 मांगों की जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु सिफारिश की जा चुकी है।

शहरी विकास

85. माननीय सभासदों! मेरी सरकार शहरी अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन को उच्च प्राथमिकता दे रही है।

86. सरकार ने शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए उचित कदम उठाए हैं और तदनुसार विकास कार्यों के समय पर निष्पादन के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया गया है।

87. शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगरपालिका की दुकानों/मकानों, जो 20 वर्ष से लीज/किराये पर थी, उन्हे बेचने की नीति बनाई है। अब तक इस पोर्टल पर 9,766 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,126 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं और 5,724 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।

88. सरकार द्वारा 'नगर दर्शन' पोर्टल शुरू किया गया है और इसे हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (HEWP)के साथ एकीकृत

किया गया है। इसमें नागरिक/जनप्रतिनिधि राज्य के सभी विभागों के विकास कार्यों और योजनाओं से संबंधित अपनी मांगों, सुझावों, आपत्तियों व शिकायतों को रख सकते हैं।

89. शहरी स्थानीय निकाय विभाग अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 1.0) के तहत पानी की आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी और पार्कों तथा हरित स्थलों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत 1.7 लाख पानी के कनेक्शन और 1.7 लाख सीवर कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा,

1,755 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन, 1,623 किलोमीटर सीवरलाइन और 158 किलोमीटर वर्षा के पानी की निकासी की पाइपलाइन बिछाई गई है और 20 सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

90. 42 स्थानों पर कई वर्षों से नगरपालिका के कचरे की डंपिंग के कारण अधिकृत मूल्यवान भूमि के सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं और पुराने कचरे के जैव उपचार के लिए 238 करोड़ रुपये की परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप अब तक कुल 105 एकड़ भूमि का सुधार किया जा चुका है।

बिजली

91. माननीय सभासदों! मेरी सरकार सभी को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बिजली उपलब्ध कराने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए बाजार की शक्तियों को विकसित कर बिजली क्षेत्र के

सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 24ग7 बिजली की आपूर्ति की प्रतिबद्धता के साथ 'म्हारा गांव जगमग गांव' के तहत 1,606 फीडरों के माध्यम से 5,682 गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।

92. मेरी सरकार यमुनानगर में 5,352 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 800 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल एक्सपेंशन यूनिट स्थापित कर रही है।

93. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वितरण कंपनियों (क्पेब्व्े) की 10वीं वार्षिक एकीकृत रैंकिंग के अनुसार, क्भ्ठटछ और न्भ्ठटछको क्रमशः ।़ और । की ग्रेडिंग दी गई है।

परिवहन

94. माननीय सभासदों! परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इन ओपन लूप का उपयोग करके यात्रियों को टिकट जारी करने की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लागू की है। इससे न केवल कार्य में दक्षता आएगी, बल्कि टिकटों से होने वाले राजस्व संग्रहण में भी सुधार होगा। इसे लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला बड़ा राज्य है। इस परियोजना का उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 29 नवम्बर, 2022 को किया गया था।

95. विभाग ने पी.पी.पी. मोड पर एन.आई.टी. फरीदाबाद बस पोर्ट विकसित किया है। पी.पी.पी. मोड के तहत गुरुग्राम, करनाल, पिपली, सोनीपत और बल्लबगढ़ में नए बस अड्डों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

96. वाहन स्क्रैपेज नीति, हरियाणा अधिसूचित की गई है और राज्य सरकार द्वारा मोटर वाहन कर में देय कर के 10 प्रतिशत या स्क्रैपेज मूल्य की 50 प्रतिशत छूट के साथ पंजीकरण शुल्क में 25 प्रतिशत छूट/ढील प्रदान की गई है।

आधारभूत संरचना

97. माननीय सभासदों! मेरी सरकार माल और यात्री यातायात में वृद्धि और बढ़ी हुई सार्वजनिक सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में अपनी सड़कों के साथ–साथ रेलवे के बुनियादी ढांचे का लगातार उन्नयन कर रही है। हमारी पहल पर भारत सरकार ने हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन (एचआरआईडीसी) द्वारा प्रस्तावित हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (एचओआरसी) को मंजूरी दे दी है। यह 122 किलोमीटर विद्युतीकृत डबल रेलवे लाइन सोहना–मानेसर–खरखौदा–दिल्ली को बाईपास करेगी और पलवल को हरसाना कलां से उत्तरी हरियाणा तक जोड़ेगी।

98. हरियाणा सरकार की पहल पर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हरियाणा राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को हाथ में लिया है। इन परियोजनाओं में तीन

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामिल हैं, जिनमें से इस्माइलाबाद–नारनौल एक्सप्रेसवे और दिल्ली– वडोदरा–मुम्बई एक्सप्रेसवे का सोहना–दौसा (राजस्थान) भाग पूरा हो गया है।

99. अन्य प्रमुख परियोजनाओं में फरीदाबाद बल्लबगढ़ बाईपास, मण्डी डबवाली से हरियाणा–राजस्थान सीमा तक छः लेन, गोहाना–सोनीपत, रेवाड़ी–बाईपास, पटौदी बाईपास सहित गुरुग्राम–पटौदी– रेवाड़ी सड़क, ग्रीन फील्ड जींद–गोहाना, साहा से शाहबाद तक सड़क को चार लेन बनाना और धारूहेड़ा–भिवाड़ी लिंक सड़क का सुधार शामिल है।

100. भारत सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड (च्व्ठ) ने पूर्व–पश्चिम दिशा में चलने वाले नए एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो मंडी डबवाली–कालांवाली–सरदूलगढ़–रतिया–भूना–प्रभुवाला–उचाना–नगूरां–सफीदों और पानीपत शहर को जोड़ेगा।

101. हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एच.एम.आर.टी.सी.) नियमित रूप से एन.सी.टी. दिल्ली के साथ मेट्रो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है और इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2021–22 के दौरान 6.15 करोड़ रुपये की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 30.85 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर का कार्यान्वयन भारत सरकार के साथ एच.एम.आर.टी.सी. और एन.सी.आर.टी.सी. के माध्यम से किया जा रहा है।

102. मेरी सरकार ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल आधारित अनुप्रयोगो का लाभ उठाने के लिए तथा विभिन्न विभागों और एजेन्सियों की सहायता के लिए ड्रोन इमेजिंग एंड इनफोरमेशन सर्विस लिमिटिड की स्थापना की है। कृषि विभाग, भूमि रिकार्ड और खनन कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र है जहां ड्रोन इमेज का उपयोग किया जा रहा है।

103. मेरी सरकार हिसार में एक इंटीग्रेटेड एविएशन हब स्थापित कर रही है, जो 7,200 एकड़ में फैला होगा और इसकी लागत 4,720 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है। गुरुग्राम में एक अत्याधुनिक हेली–हब स्थापित किया जाएगा।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

104. माननीय सभासदों! राज्य में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सभी 7,288 बस्तियों और 85 कस्बों में पेयजल आपूर्ति प्रदान की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 14 नहर आधारित जलघर, 261 नलकूप और 96 बूस्टिंग स्टेशन चालू किए गए हैं।

105. हरियाणा राज्य जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) के तहत 'हर घर जल' के उद्देश्य से सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने वाले अग्रणी राज्यों में है। राज्य अब कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एल.पी.सी.डी.) पीने के पानी की नियमित आपूर्ति प्रदान करते हुए पानी के नलों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के कार्य में लगा हुआ है।

106. 'महाग्राम योजना' के तहत चयनित 132 गांवों में से 35 गांवों में काम चल रहा है और 3 गांवों–सोताई (जिला फरीदाबाद), नाहरपुर कसन (जिला गुरुग्राम) और क्योड़क (जिला कैथल) में काम पूर्ण हो चुका है।

107. हरियाणा सरकार ने 2019 में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग पर नीति अधिसूचित की है। यह इस समय बहुत प्रासंगिक हो जाता है, जब भूजल में अत्यधिक गिरावट हो गई है। यह माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा परिकल्पित पानी की 'सर्कुलर इकोनॉमी' के दृष्टिकोण का हिस्सा है। थोक–उपभोक्ताओं, अर्थात् बिजली संयंत्रों, नगर निगमों, उद्योगों और सिंचाई को गैर–पीने योग्य अनुप्रयोगों के लिए चिन्हित किया गया है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

108. माननीय सभासदों! हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) में निरंतर घाटे का पूर्ववर्ती रुझान इस वर्ष 2,000 करोड़ रुपये के चालू लाभ के साथ बदला गया है। एच.एस.वी.पी. ने यह उपलब्धि दक्षता, प्रभावी प्रबंधन और परिसम्पत्तियों को उन्मुक्त करके हासिल की है।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान

109. माननीय सभासदों! मेरी सरकार ने ई–उपचार एप्लिकेशन को पूरे हरियाणा में 56 स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सफलतापूर्वक लागू किया है। रोगियों ने लगभग 8.2 करोड़ विजिट करके ओ.पी.डी. सेवाओं

का लाभ उठाया है और उनका रिकॉर्ड इस एप्लिकेशन में डाला गया है।

110. जिला करनाल के गांव कुटेल में स्वास्थ्य विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में 730 बिस्तरों के साथ सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल की सुविधा होगी।

111. मेरी सरकार भिवानी, जींद, कैथल, यमुनानगर तथा नारनौल में सरकारी मेडिकल कॉलेज, नल्हड़, जिला नूंह में डेंटल कॉलेज, फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया में है। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, करनाल का विस्तार किया जा रहा है। पलवल, चरखी–दादरी, फतेहाबाद और पंचकूला में मेडिकल कॉलेजों की घोषणा से हर जिले में मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री जी का विजन हासिल किया जा सकेगा।

112. माजरी–मनेठी, जिला रेवाड़ी में नया एम्स स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मेरी सरकार ने भारत सरकार को 210 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई है।

113. आयुष विभाग ने 298 व्यायामशालाएं अपने अधिकार में ली हैं। व्यायामशालाओं में 750 योग सहायकों ने कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है।

उद्योग

114. माननीय सभासदों! हरियाणा ने व्यापार सुधार कार्य योजना (बी.आर.ए.पी.)–2020 के मूल्यांकन में भाग लेने वाले 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 2022 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 'टॉप अचीवर' का दर्जा हासिल किया। हरियाणा को भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफ्रैंट स्टेटस (स्न।वै) में भी 'अचीवर' का दर्जा दिया गया।

115. इंटरएक्टिव पोर्टल द्वारा समर्थित सिंगल रूफ क्लीयरेंस सिस्टम उद्यमों से संबंधित सभी क्लीयरेंस/सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रहा है। अब तक, इसने औद्योगिक स्वीकृतियों से संबंधित 4 लाख से अधिक सेवा अनुरोधों को संसाधित किया है। वित्त वर्ष 2022–23 में औसत निकासी समय 22 दिन से घटकर 12 दिन हो गया है। 99 प्रतिशत से अधिक टिकट समय पर क्लियर हो जाते हैं।

116. मेरी सरकार खरखौदा (सोनीपत) के पास लगभग 3,300 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक औद्योगिक और वाणिज्यिक टाउनशिप और सोहना में लगभग 1,400 एकड़ पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आई.एम.टी.) के विकास पर काम कर रही है। आई.एम.टी. खरखौदा में 18,000 करोड़ रुपये के निवेश से मारुति–सुजूकी इण्डिया लिमिटेड की परियोजना तथा 1,466 करोड़ रुपये के निवेश से सुजूकी मोटर साइकिल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना स्थापित की जा रही है।

आबकारी एवं कराधान

117. माननीय सभासदों! हरियाणा जी.एस.टी. संग्रह में देश में छठे स्थान पर है। प्रति व्यक्ति कर संग्रह किसी भी राज्य की कर–संग्रह दक्षता और प्रयास का एक सच्चा संकेतक है। देश की कुल आबादी का लगभग 2 प्रतिशत होने के बावजूद हरियाणा देश के कुल जी.एस.टी. संग्रह में लगभग 6 प्रतिशत योगदान देता है। राज्य के लिए प्रति व्यक्ति जी.एस.टी. संग्रह 26,879 रुपये प्रति वर्ष है, जो देश के शीर्ष संग्रह करने वाले राज्यों में सबसे अधिक है। चालू वित्त वर्ष के पहले दस महीनों के दौरान नेट एस.जी.एस.टी. संग्रह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 26.53 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के पहले दस महीनों के दौरान आबकारी संग्रह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 22.47 प्रतिशत अधिक है।

विरासत, कला, संस्कृति और पर्यटन

118. माननीय सभासदों! मेरी सरकार का हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान है। कुरुक्षेत्र में कृष्णा सर्किट, रेवाड़ी–महेंद्रगढ़–माधोगढ़–नारनौल का हेरिटेज सर्किट, प्रसाद (PRASAD)योजना के तहत आदि बद्री, नाडा साहिब गुरुद्वारा और माता मनसा देवी मंदिर, अरावली गोल्फ पार्क, थीम पार्क और बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक, यादविन्द्र उद्यान का जीर्णोद्धार आदि विभिन्न पहलें पाइपलाइन में हैं।

119. लगभग 5,000 साल पुरानी सिंधु घाटी की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति पर एक

संग्रहालय बनाया जा रहा है। जिला फतेहाबाद में पूर्व–हड़प्पा स्थल–कुनाल में एक साइट संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है।

120. हरियाणा सरकार के सराहनीय प्रयासों से कुरुक्षेत्र की पावन नगरी में मनाये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से कुरुक्षेत्र ने अब सही अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा हासिल कर लिया है। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कनाडा में मनाया गया और अप्रैल, 2023 में ऑस्ट्रेलिया में इस महोत्सव का आयोजन प्रस्तावित है।

121. माननीय सभासदों! हमारे देश में अनेक संत–महात्माओं, ऋषि–मुनियों और गुरुओं ने मानवता का मार्गदर्शन किया है और जीवन का सही रास्ता दिखाया है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर हैं। उनकी शिक्षाओं को जन–जन, विशेषकर भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने 'संत–महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना' शुरू की है।

पर्यावरण संरक्षण

122. माननीय सभासदों! औद्योगिक इकाइयों सहित समाज के सभी वर्गों में पर्यावरण संवेदनशीलता और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए आई. एम.टी. मानेसर, गुरुग्राम में स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है।

123. राज्य का शिवालिक क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव–विविधता संपदा के लिए जाना जाता है। प्रकृति और प्राकृतिक सम्पदा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए

कालका से कलेसर तक 150 किलोमीटर लंबा नेचर ट्रेल बनाया जा रहा है।

124. माननीय सभासदों! भारत की विश्व स्तर पर विशेष पहचान बनी है व केंद्र और राज्य सरकार के सतत प्रयासों से यह और अधिक समृद्ध होगा। मेरी सरकार ने सभी क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नीतियों के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित किया है। मेरी सरकार ने प्रत्येक हरियाणवी का कल्याण सुनिश्चित किया है और राज्य को उद्योग, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, कौशल विकास और पर्यटन के हब के रूप में स्थापित करके हमेशा अपने लोगों के सामाजिक–आर्थिक कल्याण के लिए समर्पित रहेगी।

125. मेरी सरकार जनसांख्यिकीय लाभ का सदुपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य के आर्थिक वृद्धि–प्रक्षेप पथ पर युवाओं के रोजगार में सुधार पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। हरियाणा भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के राष्ट्रीय प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा योगदान करने के लिए तैयार है।

126. माननीय सभासदों! हरियाणा के लोग अपनी आशाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति तथा अपने सपनों को साकार करने के लिए आपकी तरफ निहार रहे हैं। अंत्योदय के लिए प्रतिबद्ध मेरी सरकार सुनिश्चित करेगी कि समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें और प्रत्येक व्यक्ति पूर्णता का जीवन जीये।

127. मैं यहां उपस्थित सभी महानुभावों से मेरी सरकार के इस प्रयास में समर्थन की अपील करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस सम्मानित

सदन का प्रत्येक सदस्य परिचर्चाओं और विचार–विमर्श में सक्रिय और रचनात्मक भागीदारी करेगा तथा राज्य और राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले सुझाव देगा।

वंदे मातरम !

जय हिन्द।

....

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में शोक प्रस्ताव रखेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के बाद और इस सत्र के प्रारम्भ होने से पहले जो महान विभूतियां इस संसार को छोड़कर चली गई हैं, ऐसी महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं सदन के सामने शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूंः–

श्री जगदीश नेहरा, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री जगदीश नेहरा के 18 जनवरी, 2023 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 5 जुलाई, 1939 को हुआ। वे वर्ष 1982 तथा 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1982–1987 के दौरान राज्य मंत्री तथा वर्ष 1991–1996 के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए शिक्षा, भाषा, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, संसदीय मामले, खेल तथा पशुपालन एवं डेयरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। उनकी सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि थी।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री वेद पाल, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री वेद पाल के 16 जनवरी, 2023 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 5 जून, 1939 को हुआ। वे वर्ष 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा 24 जून, 1982 से 23 जून, 1987 तक हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष रहे। वे वर्ष 1996–1999 के दौरान हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। वे मृदुभाषी और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री धर्मबीर गाबा, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री धर्मबीर गाबा के 10 फरवरी, 2023 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 मई, 1932 को हुआ। वे वर्ष 1982, 1991, 1996 तथा 2005 में चार बार हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1991–1996 के दौरान राज्य मंत्री रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री भगवान सहाय रावत, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भगवान सहाय रावत के 12 जनवरी, 2023 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 20 अप्रैल, 1947 को हुआ। वे वर्ष 1987 तथा 2000 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1988–1990 के दौरान हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक के चेयरमैन रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल के 4 फरवरी, 2023 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 5 मार्च, 1941 को हुआ। वे वर्ष 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1977–1979 के दौरान हरियाणा डेयरी विकास निगम के चेयरमैन रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री जगराम, स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन जिला फरीदाबाद के गांव मच्छगर के स्वतंत्रता सेनानी श्री जगराम के 24 जनवरी, 2023 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. सूबेदार महेन्द्र कुमार, गांव पायगा, जिला महेन्द्रगढ़।
2. हवलदार जोगेन्द्र सिंह, गांव सुनारिया खुर्द, जिला रोहतक।
3. हवलदार अशोक कुमार, गांव कोटिया, जिला महेन्द्रगढ़।
4. हवलदार नरेन्द्र सिंह, गांव शहादत नगर, जिला रेवाड़ी।
5. जे.सी.ओ. प्रमोद कुमार, गांव बहादुरगढ़, जिला जीन्द।
6. नायक राज सिंह, गांव सासरोली, जिला झज्जर।
7. नायक संदीप यादव, गांव जीतपुरा, जिला हिसार।
8. नायक अरुण कुमार, गांव ककराला, जिला महेन्द्रगढ़।
9. सिपाही भैरू सिंह, गांव अमरपुरा, जिला महेन्द्रगढ़।
10. सिपाही अमित, गांव एम.पी.माजरा, जिला झज्जर।
11. सिपाही हैप्पी सिंह, गांव फग्गू, जिला सिरसा।

12. सिपाही मनोज कुमार, गांव पीलीमन्दोरी, जिला फतेहाबाद।

यह सदन इन वीरों की शहादत पर शत्–शत् नमन करता है और शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन
विधायक श्री नीरज शर्मा के मामा, **श्री ओम प्रकाश कौशिक;** तथा

विधायक श्री दीपक मंगला की माता, **श्रीमती प्रेमवती मंगला;** के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब नेता प्रतिपक्ष शोक प्रस्ताव पर बोलेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी सांपला किलोई): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन में पढ़े हैं, उनमें मैं खुद को और अपनी पार्टी को भी शामिल करता हूँ। मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री जगदीश नेहरा के 18 जनवरी, 2023 को हुए दुःखुद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

उनका जन्म 5 जुलाई, 1939 को हुआ। वे वर्ष 1982 तथा 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1982–1987 के दौरान राज्य मंत्री तथा वर्ष 1991–1996 के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए शिक्षा, भाषा, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, संसदीय मामले, खेल तथा पशुपालन एवं डेयरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का

गौरव हासिल हुआ। उनकी सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में विशेष रूचि थी।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री वेद पाल के 16 जनवरी, 2023 को हुए दुःखुद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 5 जून, 1939 को हुआ। वे वर्ष 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा 24 जून, 1982 से 23 जून, 1987 तक हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष रहे। वे वर्ष 1996–1999 के दौरान हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। वे मृदुभाषी और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री धर्मबीर गाबा के 10 फरवरी, 2023 को हुए दुःखुद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 15 मई, 1932 को हुआ। वे वर्ष 1982, 1991, 1996 तथ 2005 में चार बार हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष

1991–1996 के दौरान राज्य मत्री रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके साथ मुझे भी इस सदन का सदस्य होने का मौका मिला था।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भगवान सहाय रावत के 12 जनवरी, 2023 को हुए दुःखुद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 20 अप्रैल, 1947 को हुआ। वे वर्ष 1987 तथा 2000 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1988–1990 के दौरान हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक के चेयरमैन रहे। उनके साथ मुझे भी इस सदन का सदस्य होने का मौका मिला था।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल के 4 फरवरी, 2023 को हुए दुःखुद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 5 मार्च, 1941 को हुआ। वे वर्ष 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1977–1979 के दौरान हरियाणा

डेयरी विकास निगम के चेयरमैन रहे। वे मेरे सहपाठी भी थे। मुझे उनके निधन का बहुत दुख हुआ।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से जिला फरीदाबाद के गांव मच्छगर के स्वतंत्रता सेनानी श्री जगराम के 24 जनवरी, 2023 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :–

1. सूबेदार महेन्द्र कुमार, गांव पायगा, जिला महेन्द्रगढ़।
2. हवलदार जोगेन्द्र सिंह, गांव सुनारिया खुर्द, जिला रोहतक।
3. हवलदार अशोक कुमार, गांव कोटिया, जिला महेन्द्रगढ़।
4. हवलदार नरेन्द्र सिंह, गांव शहादत नगर, जिला रेवाड़ी।
5. जे.सी.ओ. प्रमोद कुमार, गांव बहादुरगढ़, जिला जीन्द।
6. नायक राज सिंह, गांव सासरोली, जिला झज्जर।

7. नायक संदीप यादव, गांव जीतपुरा, जिला हिसार।

8. नायक अरुण कुमार, गांव ककराला, जिला महेन्द्रगढ़।

9. सिपाही भैरू सिंह, गांव अमरपुरा, जिला महेन्द्रगढ़।

10. सिपाही अमित, गांव एम.पी.माजरा, जिला झज्जर।

11. सिपाही हैप्पी सिंह, गांव फग्गू, जिला सिरसा।

12. सिपाही मनोज कुमार, गांव पीलीमन्दोरी, जिला फतेहाबाद।

मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से इन वीरों की शहादत पर शत्–शत् नमन करता हूं और शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से विधायक श्री नीरज शर्मा के मामा, श्री ओम प्रकाश कौशिक तथा विधायक श्री दीपक मंगला की माता, श्रीमती प्रेमवती मंगला के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के प्रति जो अपनी संवदेना प्रकट की हैं, मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं।

इसके अतिरिक्त मुझे अभी जो एक जानकारी मिली है कि विधायक श्री नरेन्द्र गुप्ता के पूज्य चाचा श्री सुरेश चन्द गुप्ता का निधन भी इसी

दौरान हुआ है उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल किया जाता है।

मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में सीान दें ताकि उनकी महान आत्माओं को शांति प्राप्त हो सके। मैं इस सदन की भावनाओं को सभी शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दूंगा।

अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की शांतिके लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महिला आयोग की सभापति का अभिनन्दन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज सदन में सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा जी, पूर्व अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा एवं श्रीमती रेखा शर्मा, सभापति, राष्ट्रीय महिला आयोग, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है।

इंडियंज मीडिया सैंटर, हरियाणा के माध्यम से हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र एवं वरिष्ठ पत्रकार का अभिनंदन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इंडियंज मीडिया सैंटर, हरियाणा के माध्यम से हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र एवं वरिष्ठ पत्रकार आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ।

श्री बलराज कुंडू, विधायक द्वारा अपनी जन जागृति यात्रा से संबंधित अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन देना।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी जन जागृति यात्रा से संबंधित मेरा यह ज्ञापन स्वीकार करें।

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, आप अपना यह ज्ञापन सेक्रेटरी साहब को दे दीजिए क्योंकि इस ज्ञापन का आगे प्रोसैस सेक्रेटरी साहब को ही करना है।

श्री बलराज कुंडू: ठीक है, अध्यक्ष जी।

(इस समय माननीय सदस्य श्री बलराज कुंडू ने अपना उपरोक्त ज्ञापन सचिव महोदय को सौंपा)

मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह के त्याग पत्र से संबंधित मामला उठाना।

श्री जोगीराम सिहागः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रखने के लिए आपसे दो मिनट का समय लेना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं भी कहना चाहती हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, अभी आप बैठ जाएं बाद में मैं सभी को बोलने के लिए समय दूंगा।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी हरियाणा सरकार में मंत्री श्री संदीप सिंह पर जिस तरह से आरोप लगे हैं, सब जानते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गीता जी, पहले आप मेरी एक मिनट बात सुनिए। (शोर एवं व्यवधान) कुंडू जी, पहले आप अपनी जगह पर बैंठे।

श्री जोगीराम सिहागः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रखने के लिए आपसे दो मिनट का समय लेना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः पहले आप सदन की कार्यवाही चलने दीजिए फिर सभी को बोलने का समय दिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, पहले आप मेरी बात सुनिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं सभी को बोलने के लिए समय दूंगा लेकिन ऐसे नहीं। अभी आप बैठ जाएं।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा अनुरोध है। (शोर एवं व्यवधान) ैचमांमत ैपतए ूम दममक लवनत चतवजमबजपवदण

श्री अध्यक्षः गीता जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहले आप सदन की कार्यवाही चलने दीजिए फिर हर विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी यह जिम्मेवारी बनती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी न्यूज पेपर में यह फर्स्ट न्यूज बनी हुई है। क्या यह हमारे लिए खबर नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के एक मंत्री हमारी एक एम्पावर्ड महिला से छेड़छाड़ कर रहे थे ?(विघ्न)

13:00 बजे

श्री अध्यक्ष : देखिए आरोप लगाना और आरोप साबित होना दो अलग–अलग चीजें हैं। आरोप किसी के ऊपर भी लग सकता है लेकिन जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता तब तक किसी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। आरोप किसी के ऊपर भी लग सकता है उसकी इंक्वॉयरी होती है। इस मामले में भी एस.आई.टी. का गठन किया गया

है। एस.आई.टी. की रिपोर्ट आयेगी। जो रिपोर्ट आयेगी उसके मुताबिक कार्यवाही की जायेगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिए। यह ठीक है कि जांच हो रही है। दोष साबित नहीं हुआ है लेकिन बी.जे.पी. अध्यक्ष ने तो उनको यह कहकर अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया कि जब तक यह जांच साफ नहीं होगी, हम उनको मीटिंग में नहीं बुलायेंगे। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे या तो अपनी इच्छानुसार अपने पद से इस्तीफा दे दें या उनसे इस्तीफा ले लिया जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : देखिए, मैं समझता हूं कि किसी के ऊपर आरोप लगने के बाद उसको आरोपित करार नहीं दिया जा सकता। एफ.आई.आर. तो दर्ज होती है। बहुत सारी एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं। (शोर एवं व्यवधान) बहुत सारी इंक्वॉयरीज चल रही हैं। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष जी, जहां तक माननीय मंत्री जी को अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी द्वारा मीटिंग में न बुलाने का सम्बन्ध है मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने स्वयं यह कहा था कि वे मीटिंग में नहीं आयेंगे। नहीं आयेंगे तो ठीक है नहीं आयें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी यह बता दें कि सम्बंधित मंत्री से इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि हम सम्बंधित मंत्री से इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंग, नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष : जब तब आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक कोई भी इस्तीफा लेने का मकसद नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक कोई भी आरोपी करार नहीं दिया जा

सकता। (शोर एवं व्यवधान) सदन में इस प्रकार का व्यवहार किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) सदन में बैनर इत्यादि बनाकर लाना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांगेस के कई सदस्य अपनी–अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

श्रीमती गीता भुक्कल : बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे का क्या हुआ, क्या हुआ? (शोर एवं व्यवधान)

वॉक–आऊट

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि आरोप किसी के ऊपर भी लग सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक वह दोषी नहीं है और जब तक वह दोषी साबित नहीं हो जाता उसको पूरे अधिकार हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, अगर सरकार इस बारे में हमारी बात नहीं मानती तो हम इसके विरोधस्वरूप सदन से वॉक–आऊट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य (महिला सदस्यों को छोड़कर) श्री संदीप सिंह, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री से इस्तीफा न लिये जाने के विरोधस्वरूप सदन से वॉक–आऊट कर गए।)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष जी, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं बिल्कुल नहीं, आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) किसी के ऊपर आरोप लगाना बडी आसान बात है लेकिन जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक वह दोषी नहीं हो सकता। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : मुख्यमंत्री जी, आज हंस रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिए वो आपके व्यवहार से हंस रहे हैं कि आप पढ़े–लिखे होने के बावजूद मंत्री जी को बिना कोई जांच कम्पलीट हुए दोषी करार दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) जांच कम्पलीट होने के बाद पता लगेगा कि वे दोषी हैं या नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) जब दोषी करार दिया जाये उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) क्या आपको किसी भी न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं है।

श्रीमती गीता भुक्कल : कानून की धज्जियां उड़ गई हैं। (शोर एवं व्यवधान) पुलिस प्रशासन मंत्री जी के घर पर जाकर जांच कर रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहती हूं कि ष्ब्मेंतशे ूपमि उनेज इम ंइवअम `नेचपबपवदष् (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिए मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी दरियादिली से जो मंत्री जी के पास डिपार्टमैंट था वह डिपार्टमैंट उनसे वापिस ले लिया ताकि इंक्वॉयरी इंडीपैंडैंट हो सके। (शोर एवं व्यवधान) बेटियों के साथ जहां पर भी अन्याय होगा हम वहां पर उनके साथ खड़े होंगे। मंत्री जी के खिलाफ इंक्वॉयरी चल रही है। स्मज जीम मदुनपतल इम बवउचसमजमकण जो रिपोर्ट आयेगी उसी के आधार पर कार्यवाही करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) बिना इंक्वॉयरी के किसी को भी दोषी करार नहीं दिया जा सकता। (शोर एवं व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवरपाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के बहुत से नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप हैं तो क्या हम उनको बिना इन्कवायरी करवाये ही सजा दे दें? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बहुत सारे नेताओं के खिलाफ तरह–तरह की इन्कवायरीज चल रही हैं तो क्या उनको सदन से बरखास्त कर दिया जाये? जब तक इन्कवायरी की रिपोर्ट नहीं आती और आरोपी करार नहीं दिया जाता तब तक किसी पर आरोप लगाने से वह आरोपी नहीं हो सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, उन पर आरोप लगे हैं तो उनको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री मूल चन्द शर्मा)ः अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब पर मुकदमें चल रहे हैं और इनकी जेल में जाने की तैयारी है। इनके खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है तो क्या इन्होंने त्याग पत्र दे दिया? ये भी आरोप लगा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर आप इनका त्याग पत्र नहीं मांगते हैं तो इस केस की इन्कवायरी सी.बी.आई. से करवा दीजिए। सिर्फ मंत्री जी का विभाग बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया है इसलिए आप सभी बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

घोषणाएं–

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची के संबंध में

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 13 (1) के अधीन मैं, फरवरी–मार्च सत्र, 2023 के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सभापति के नामों की सूची (पैनल ऑफ चेयरपर्सन्ज) में कार्य करने के लिए नामांकित करता हूँ–

1. श्री असीम गोयल, विधायक
2. श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक
3. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक
4. श्री रणधीर सिंह गोलन, विधायक

(ii) सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री दुड़ा राम, विधायक ने मुझे ई–मेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे 19 व 20 फरवरी, 2023 को फाल्गुन की अमावस्या के मौके पर राजस्थान के नोख स्थित मुकाम में लगने वाले मेले में उपस्थित होने के कारण आज दिनांक 20.02.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

इसी प्रकार, श्री अनिल विज, गृह मंत्री ने पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वे अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 20.02.2023 से 23.02.2023 तक सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

इसी प्रकार, श्री संदीप सिंह, मुद्रण तथा लेखन सामग्री राज्य मंत्री ने ई–मेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वे बीमार होने के कारण आज दिनांक 20 फरवरी, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

इसी प्रकार, श्रीमती नैना चौटाला, विधायक ने ई–मेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वे अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण आज दिनांक 20 फरवरी, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती हैं।

इसी प्रकार, श्री सुधीर सिंगला, विधायक ने ई–मेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वे तबीयत ठीक न होने के कारण आज दिनांक 20 फरवरी, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ख) सचिव द्वारा
राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः अब सचिव घोषणा करेंगे।

श्री सचिवः अध्यक्ष महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने दिसम्बर, 2022 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, नेवा पोर्टल के माध्यम से सादर सदन की मेज पर रखता हूं।

दिसम्बर सत्र, 2022

1. हरियाणा नगरीय अचल सम्पत्ति कर (सूची विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022.
2. हरियाणा लघु नगर (कर विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022.
3. हरियाणा नगर पालिका (कर विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022.
4. हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2022.
5. हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2022.
6. हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक, 2022.
7. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022.
8. फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022.
9. गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022.

10.हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022.

11.हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022.

12.हरियाणा विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2022.

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न कार्यों की समय सारिणी प्रस्तुत करता हूंः–

समिति की बैठक वीरवार, 16 फरवरी, 2023 को मध्याह्न–पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।

समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निदेश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक सोमवार, 20 फरवरी, 2023 को प्रातः 11.00 बजे आरम्भ होगी तथा सायं 06.00 बजे बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

सोमवार, 20 फरवरी, 2023 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरंत आधा घंटा पश्चात् विधान सभा की बैठक आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

समिति ने आगे सिफारिश की कि मंगलवार, 21 फरवरी, 2023 से वीरवार 23 फरवरी 2023 को विधान सभा की बैठक प्रातः 11. 00 बजे आरम्भ होगी तथा सायं 06.00 बजे बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

समिति ने आगे यह भी सिफारिश की कि शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 को विधान सभा की बैठक प्रातः 11.00 बजे आरम्भ होगी तथा सायं

06.00 बजे स्थगित होगी, सोमवार, 20 मार्च, 2023 तथा मंगलवार, 21 मार्च 2023 को विधान सभा की बैठक प्रातः 11.00 बजे आरम्भ होगी तथा सायं 06.00 बजे स्थगित होगी तथा बुधवार 22 मार्च, 2023 को प्रातः 11.00 बजे आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि सोमवार, 20 फरवरी, 2023 से वीरवार, 23 फरवरी 2023 तथा शुक्रवार, 17 मार्च, 2023, सोमवार, 20 मार्च, 2023 से बुधवार, 22 मार्च 2023 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगाः—

सोमवार, 20 फरवरी, 2023 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरन्त आधा घंटा पश्चात् सदन की बैठक होगी।	1. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज़ पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति रखना। 2. शोक प्रस्ताव। 3. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। 4. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज—पत्र।
मंगलवार, 21 फरवरी, 2023 (प्रातः11.00 बजे)	1. प्रश्न काल। 2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा।
बुधवार, 22 फरवरी, 2023 (प्रातः 11.00 बजे)	1. प्रश्न काल। 2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान। 3. वर्ष 2022—2023 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान। 4. नियम—121 के अधीन प्रस्ताव। 5. हरियाणा पुलिस ;सशोधनद्ध विधेयक, 2022 पर चयन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
वीरवार, 23 फरवरी, 2023 (प्रातः 11.00 बजे)	वर्ष 2023—2024 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना।
शुक्रवार, 24 फरवरी, 2023 से वीरवार, 16 मार्च, 2023 तक	मध्यावकाश।
शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 (प्रातः 11.00 बजे)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2023—2024 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा। 3. वर्ष 2022—2023 के लिए अनुपूरक अनुमानों (तीसरी किस्त) के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक। 4. विधान कार्य।
शनिवार, 18 मार्च, 2023	छुट्टी।

रविवार, 19 मार्च, 2023	छुट्टी
सोमवार, 20 मार्च, 2023 (प्रातः 11.00 बजे)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर समान्य चर्चा का पुनरारम्भण। 3. विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना। 4. विधान कार्य।
मंगलवार, 21 मार्च, 2023 (प्रातः 11.00 बजे)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों तथा वर्ष 2023–2024 के लिए अनुदानों की मांगों पर वित्त मंत्री द्वारा उत्तर तथा मतदान। 3. विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना। 4. विधान कार्य।
बुधवार, 22 मार्च, 2023 (प्रातः 11.00 बजे)	1. प्रश्न काल। 2. निरंतर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव। 3. अनिश्चित काल के लिए सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव। 4. रखे जाने वाले कागज–पत्र, यदि कोई हों। 5. विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना। 6. वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों के संबंध हरियाणा विनियोग विधेयक। 7. विधान कार्य। 8. कोई अन्य कार्य।श

श्री अध्यक्षः अब संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : स्पीकर सर, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है ।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर पुनः रखे गए/रखे गए कागज–पत्र

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर कागज पत्र पुनः रखेंगे/रखेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं नेवा पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित कागज पत्र सदन के पटल पर पुनः रखता हूँ:–

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 67/जी.एस.टी–2, दिनांकित 16 दिसम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 68/जी.एस.टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 70/जी.एस.टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/जी.एस.टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 72/जी.एस.टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 73/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 74/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 01/जी.एस.टी–2, दिनांकित 4 जनवरी, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 02/जी.एस.टी–2, दिनांकित 4 जनवरी, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 03/जी.एस.टी–2, दिनांकित 4 जनवरी, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार

आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 04/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जनवरी, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 05/जी.एस.टी–2 दिनांकित 18 जनवरी, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 06/जी.एस.टी–2, दिनांकित 02 फरवरी, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 07/जी.एस.टी–2, दिनांकित 02 फरवरी, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 08/जी.एस.टी–2, दिनांकित 02 फरवरी, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 09/जी.एस.टी–2, दिनांकित 23 फरवरी, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 10/जी.एस.टी–2, दिनांकित 16 मार्च, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35/जी.एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/जी.एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/जी.एस.टी–2, दिनांकित 28 जून, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 42/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022.
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/जी.एस.टी–2, दिनांकित 23 अगस्त, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/जी.एस.टी–2, दिनांकित 23 अगस्त, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/जी.एस.टी–2, दिनांकित 23 अगस्त, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52/जी.एस.टी–2, दिनांकित 23 अगस्त, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस.टी–2, दिनांकित 23 अगस्त, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस.टी–2, दिनांकित 23 अगस्त, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/जी.एस.टी–2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/जी.एस.टी–2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 60/जी.एस.टी–2, दिनांकित 7 अक्टूबर, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 61/जी.एस.टी–2, दिनांकित 7 अक्टूबर, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/जी.एस.टी–2, दिनांकित 29 नवम्बर, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 63/जी.एस.टी–2, दिनांकित 12 दिसम्बर, 2022.

हरियाणा पशु मेला अधिनियम की धारा 22 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, विकास एवं पंचायत विभाग अधिसूना संख्या एस.ओ. 3/एच.ए. 30/1970/एस.22/2022, दिनांकित 25 फरवरी, 2022.

अध्यक्ष महोदय, अब मैं नेवा पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित कागज पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ:–

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 1/जी.एस.टी–2, दिनांकित 12 जनवरी, 2023.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 2/जी.एस.टी–2, दिनांकित 12 जनवरी, 2023.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 03/जी.एस.टी–2, दिनांकित 12 जनवरी, 2023.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 04/जी.एस.टी–2, दिनांकित 12 जनवरी, 2023.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 05/जी.एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2023.

हरियाणा पशु मेला अधिनियम, 1970 की धारा 22 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, विकास एवं पंचायत विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ.3/एच.ए.30/1970/एस.22/2022, दिनांकित 25 फरवरी, 2022 के संबंध में शुद्धिपत्र दिनांकित 13 फरवरी, 2023.

श्री भव्य बिश्नोई, विधायक द्वारा माननीय सदस्यों को दिनांक 21.02.2023 को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना।

श्री अध्यक्षः अब श्री भव्य बिश्नोई जी अपनी बात रखेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, आप विपक्ष की बात नहीं सुन रहे हैं। आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) आप केवल बी.जे.पी. के ही अध्यक्ष नहीं हैं। आपको विपक्ष की बात को भी सुनना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए, आप मेरे उपर आरोप मत लगाइये। (शोर एवं व्यवधान) बिल्कुल आरोप नहीं लगा सकते। मैं कोई कंटैस्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) आप ऐसा

व्यवहार करके क्या करना चाहते हैं। भव्य बिश्नोई जी अपनी बात रख रहे हैं आप उन्हें अपनी बात रखने दें। (शोर एवं व्यवधान) भव्य जी, आप अपनी बात रखें। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य वैल में आकर माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ तर्क–वितर्क करने लग गए।)

श्री भव्य बिश्नोईः माननीय विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी, हरियाणा के विकास पुरूष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, विधान सभा उपाध्यक्ष श्री रणबीर सिंह गंगवा जी, उप–मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी, इंडियन नैशनल लोकदल के महासचिव श्री अभय सिंह चौटाला जी, हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य, सदन के सभी माननीय सदस्य, सभी पत्रकार साथियों एवं अधिकारीगण। आदमपुर से विधायक के तौर पर निर्वाचित होने के बाद मुझे इस सदन में पहुंचने का जो गौरवमयी अवसर मिला है, इसमें युगपुरूष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के साथ–साथ कई महान शख्सियतों ने अपने अथक प्रयासों से हरियाणा की तकदीर लिखने का काम किया है। इसी सदन में मेरे पिता जी चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने चार बार विधायक के तौर पर कार्य करते हुए हरियाणा के आम जन–मानस की आवाज को उठाने का काम किया। (शोर एवं व्यवधान) लोकतंत्र के इसी मंदिर से हम सब मिलकर हरियाणा के तीन करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। स्नेह एवं आदरपूर्वक मैंने आप सभी के लिए कल दिनांक 21 फरवरी, 2023 को दोपहर को हमारे बिश्नोई समाज के परम्परागत भोजन कड़ी, चूरमा और हलवे की व्यवस्था की है जोकि पौष्टिक भी है और स्वादिष्ट भी है। (शोर एवं व्यवधान) मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को हमारे

खाने का स्वाद सदैव याद रहेगा। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस स्नेह भोज में शामिल होकर मुझे अनुग्रहित करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, आपको विपक्ष की बात भी सुननी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए, जिस प्रकार का व्यवहार आप लोगों द्वारा किया जा रहा है, मैं ऐसा व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, आपको विपक्ष की बात सुननी तो चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन मंगलवार, दिनांक 21 फरवरी, 2023 प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*01.17बजे

(‘तत्पश्चात सभा मंगलवार, दिनांक 21 फरवरी, 2023 प्रातः 11.00 बजे तक के लिए ’ स्थगित हुई।)